

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 1983/फाल्गुन 13 1904
No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 1983/PHALGUNA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1983

का. अ. 157(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951
(1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् विकास
परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को भारत सरकार के भारी उद्योग
विभाग के आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1982 के द्वारा गठित भारी वैद्युत एवम् संबन्ध
उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है
कि उक्त आवेश में निम्नलिखित प्रतिस्थापन और संशोधन किया जाएगा,
अर्थात् :—

उक्त आदेश में श्र. नं. 18 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“18. श्री विजय आर. किलोस्कर,
मै किलोस्कर इलेक्ट्रिक लि.,
बंगलौर।”

[सौ. ई.ई.आई. 19(38)/81]

मुनीश गुप्त, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1983

S.O. 157(E)—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 & 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the following person to be member of the Development Council for Heavy Electrical and Allied Industries constituted by the Order of the Government of India in the Department of Heavy Industry order dated the 21st July, 1982 and directs that the following substitution and amendments shall be made in the said Order namely :—

In the said Order for entry occurring against Sl No 18 the following entry shall be substituted namely :—

“18 Shri Vijay R Kirloskar,
M/s. Kirloskar Electric Ltd,
Bangalore”

[No EEI-19(38)/81]

M. G GUPTA, Jt. Secy